


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

9/5
23
पञ्जावली महेगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान
2023 ग्राम पंचायत जोरावरपुरा में पेश हुई विपक्षीयता के
सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाब्दिक किये गये
प्रार्थी का प्राप्ति स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से
लिखा जाकर शाब्दिक किया गया। पञ्जावली फॉर्मसदृश
होकर जम्मा से कम है।


हुकमीचन्द रोहतानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 69/23 प्रापत्र

1- श्री कल्याण सो श्री मोड़ा माली जियासी गालियो का भौरल्ला गाँडल तहसील- गाँडल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बट्टी सो श्री मोड़ा माली जियासी- भौगिन भौरल्ला माण्डल तहसील- गाँडल [कुँरा]
(सुखण्डित प्रापत्र संकण)
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 19-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम स्टेशन नगर पटवार हल्का सेतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 10065/6922 कुल कित्ता 01 रकबा 0-1770 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-04-23 को पंजीयद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम स्टेशन नगर पटवार हल्का सेतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 10065/6922 कुल कित्ता 01 रकबा 0-1770 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 20

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान